राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/5026 भोपाल, दिनांक 14/02/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश

विषय :–सीमॉक लेवल 3 संस्थाओं को क्रियाशील करने एवं संस्था में सीजेरियन एवं हिस्टरेक्टमी करने हेतु विशेषज्ञों की सेवाऐं लेने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2017/1193, भोपाल दिनांक 14.06.2017।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा सीमॉक संस्थाओं में सीजेरियन ऑपरेशन करने हेतु निजी एवं शासकीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाऐं प्रति केस के मान से लेने हेतु निर्देशित किया गया था। ऐसी संस्थाओं में जहां विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ. पदस्थ नहीं है अथवा अवकाश पर हैं, इनमें निजी एवं शासकीय क्षेत्र के स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ स्त्ररोग, सीजेरियन सेक्शन में प्रशिक्षित अथवा अनुभवी जनरल सर्जन एवं निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञों/पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना विज्ञान की सेवाऐं ली जानी है।

सीमॉक क्रियाशीलता लक्ष्य अनुसार, जिला चिकित्सालय पर न्यूनतम 10 सीज़ेरियन प्रति माह एवं उप जिला स्तरीय सीमॉक संस्थाओं (सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर न्यूनतम 5 सीजेरियन प्रति माह किये जाने है।

जिले में पदस्थ अधिकारियों द्वारा डिलेवरी पॉईन्ट की क्रियाशीलता की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वर्तमान में सिजेरियन सेक्शन हेतु निर्धारित की जाने वाली राशि स्त्रीरोग विशेषज्ञ हेतु रूपये 3000/– एवं निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ हेतु रूपये 2000/– में विशेषज्ञ दूरस्थ सीमॉक संस्थाओं पर सिजेरियन सेवायें देने हेतु सहमति नहीं देते है। अतः वर्तमान में संचालित व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन किया गया है **तथा 1 मार्च 2020 के उपरांत किये गये प्रति केस का भुगतान निम्नलिखित दिशा–निर्देश अनुसार किया जाये।**

- **सिजेरियन सेक्शन हेतुः–**
  1. निजी क्षेत्र एवं शासकीय संस्था में पदस्थ–**निश्चेतना विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना विज्ञान/एल.एस.ए.एस प्रशिक्षत चिकित्सा अधिकारी की सेवाऐं रू. 4000/– प्रति सीजेरियन केस** के मान से प्राप्त की जा सकती है।
  2. **स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ स्त्रीरोग/सीजेरियन सेक्शन में प्रशिक्षित अथवा अनुभवी जनरल सर्जन विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ. जनरल सर्जन/ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की सेवाऐं रू. 5000/– प्रति केस** के मान से प्राप्त की जा सकती है।
  3. सीजेरियन उपरांत महिला की पोस्ट ऑपरेटिव केयर संस्था में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी तथा नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जायेगी। सिजेरियन के दौरान नवजात शिशु की देखभाल संस्था पर कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ/एन.एस.एस.के. प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी।
  4. विशेषज्ञों को सीमॉक संस्था पर आने जाने हेतु **मोबिलिटी सपोर्ट** जिला एवं विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक यूनिट द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर रूपये 1200/– अधिकतम की पात्रता होगी।
- **हिस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन हेतुः–**
  1. सीमॉक संस्थाओं में हिस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन की सेवाये सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में निर्धारित **दर अनुसार रूपये 3000/– प्रति केस के मान** से शासकीय संस्थाओं में पदस्थ एवं निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों

(अनुभवी– **स्त्रीरोगविशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओं स्त्रीरोग विशेषज्ञ/ जनरल सर्जन/पीजीएमओ जनरल सर्जन**) की सेवाये प्राप्त की जा सकती है।

2. हिस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन में निश्चेतना देने हेतु पूर्व में निर्धारित **दर अनुसार रूपये 2000/– प्रति केस** के मान से **निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ/पीजीएमओ निश्चेतना विज्ञान** से सेवाये प्राप्त की जा सकती है।
3. जटिलता एवं आपातकाल की स्थिति में आवश्यक होने पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ स्त्रीरोग /जनरल सर्जन/पीजीएमओ जनरल सर्जन की सेवाये **फॉलोअप एवं चेकअप हेतु पूर्व में निर्धारित दर अनुसार रूपये 1000/– प्रति फॉलोअप विजिट** के मान से प्राप्त की जा सकती है।

- सिजेरियन हेतु इन्डीकेटेड केसेस का चिन्हांकनः–

1. अक्रियाशील सीमॉक संस्था के प्रभारी का दायित्व होगा कि जिन महिलाओं का Elective सीजेरियन होना है उनकी सूची सेक्टर ऑफिसर के सहयोग से तैयार करें एवं Batching Matching में चिन्हित Elective सीजेरियन वाली महिलाओं की MP ANMOL से प्राप्त करें। सेक्टर ऑफीसर उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली महिलाओं का ANC चेकअप कर सिजेरियन हेतु पात्र महिलाओं (CPD, breech presentation, placenta Previa, Transverse lie, previous LSCS, precious Pregnancy etc.) का चयन कर सीजेरियन हेतु संस्था प्रभारी को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।
2. सिजेरियन ऑपरेश की व्यवस्था करने हेतु ओ.टी में आवश्यक उपकरण की उपलब्धता एवं नियमित स्टेरेलाइजेशन सुनिश्चित करने का दायित्व संस्था प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा साथ ही ब्लड स्टोरेज यूनिट की क्रियाशीलता भी इनके द्वारा सुनिश्चित की जायेगीं।
3. ऑपरेशन में असिस्ट करने वाले चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स को 10 दिवस जिला चिकित्सालय की मेटरनिटि ओ.टी में ड्यूटी लगायी जाकर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये जिससे सुचारू रूप से विशेषज्ञों द्वारा ऑपरेशन किया जा सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डीएचओ–1 एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के माध्यम से विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के समन्वय कर सीमॉक संस्थावार, दिवसवार, चिकित्सकवार कार्ययोजना तैयार करवा कर अक्रियाशील सीमॉक संस्थाओं पर सीजेरियन करवाना सुनिशिचित किया जाये। **उक्त गतिविधि जिले की कार्ययोजना में गतिविधि क्रमांक. 1.1.1.6 (A.1.6.6.b) में स्वीकृत है।** अतः गतिविधि को दिये गये दिशानिर्देश अनुसार संपादित कर गतिविधि में होने वाले व्यय की प्रविष्टि ईवित्त सॉफ्टवेयर में दर्ज करवान सुनिश्चित करें।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश.

पृष्ठ क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/5027 भोपाल, दिनांक 14/02/2020

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, वित्त, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश।
8. समस्त डीएचओ–1 स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश
9. समस्त संभागीय आर.एम.एन.सी.एच.ए कॉर्डीनेटर एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
10. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी/संस्था प्रभारी, स्वास्रूय सेवाऐं मध्यप्रदेश
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश.